

शहरी विकास विभाग
9वाँ तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई. पी इस्टेट, नई दिल्ली-110002

अतारांकित प्रश्न संख्या :-

81

दिनांक :-

09/08/2017

प्रश्नकर्ता का नाम :-

श्री सुरेन्द्र सिंह

क्या उपमुख्यमंत्री/ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

प्रश्न	उत्तर
(क) दिल्ली छावनी परिषद का विकास संबंधित फंड से कार्य करने का अपना अधिकार क्षेत्र श्रेणी ए, बी और सी में किस किस लैंड पर है,	उत्तर:- दिल्ली छावनी परिषद दिल्ली छावनी परिषद को विकास संबंधित कार्यों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कोई राशि प्रदान नहीं की जाती है। दिल्ली छावनी परिषद छावनी में विकास कार्य छावनी अधिनियम 2006, मिलिट्री लेण्ड मेनयूल 1945 एवं छावनी परिषद द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुसार करता है।
(ख) क्या दिल्ली छावनी परिषद ने परिषद की मासिक बैठक में ऐसा कोई संशोधन पास करके जारी किया है कि ए श्रेणी में लैंड पर छावनी बोर्ड के फंड विकास कार्य नहीं किये जाएंगे ?	उत्तर:- दिल्ली छावनी परिषद दिल्ली छावनी परिषद में यह निर्णय लिया गया है कि 'ए' लैंड पर कार्य करने से पूर्व स्टेशन हैडक्वार्टर, दिल्ली छावनी से कार्य की पहले वर्किंग पर्मिशन ली जाएगी।
(ग) यदि हाँ तो संशोधन की प्रति उपलब्ध करें,	उत्तर:- दिल्ली छावनी परिषद लागू नहीं है।
(घ) दिल्ली छावनी परिषद के अंतर्गत में काबुल लाइन क्षेत्र में बनाई गई इमारतों को एमईएस को कब सौंपा गया तथा इन इमारतों की नवीनीकरण के लिए कितनी राशि खर्च की गई, पूर्ण जानकारी दी जाए ?	उत्तर:- दिल्ली छावनी परिषद काबुल लाइन क्षेत्र दिल्ली छावनी के प्रबन्धनहीन नहीं है।